संख्या:72/2015/837जेएल/22-3-15-100(25)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2015***

विषय: जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अमरीश पुत्र श्री राम प्रसाद को केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-7910/सामा-1(3)/हमीरपुर/2010, दिनांक 11-03-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालयों द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के दृष्टिगत उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अमरीश पुत्र श्री राम प्रसाद को उपचार हेतु केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त बंदी के स्वस्थ होने के उपरान्त उसे पुन: जिला कारागार, हमीरपुर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:72/2015/837जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, हमीरपुर/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्दीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in